न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 21/2025

बउनवान

किशन गोस्वामी पुत्र रमेशचन्द्र जाति गोस्वामी निवासी छजावा, तहसील अटरू, जिला बारा, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील बनाराजगी आदेश कमांक 1909 दिनांक 26.04.2025 एवं कमांक 2625 दिनांक 14.05.2025 अन्तर्गत धारा 22 राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :–1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 01.12.2025

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट पॉश कोड 7052 उचित मूल्य दुकानदार निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां को रेस्पोडेण्ड एवं अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, तथा अपीलाण्ट की उचित मूल्य का लाइसेंस निरस्त करते हुए पत्र क्रमांक 1909 दिनांक 26.04.2025 को गेहूं के गबन का झूठा आरोप लगाते हुए अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 79/2003 को निरस्त किया गया है व अपीलाण्ट की दुकान एफ.पी.एस. कोड संख्या 7052 को ग्राम पंचायत ढोटी व अन्य श्री हरपाल मीना ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती को अटेचमेंण्ट दे दी गई है। अपीलांट निर्दोष है उसने कभी कोई गबन नहीं किया है। सन् 2003 से लगातार नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। लेकिन बिना किसी जांच व बिना किसी नोटिस के झूठा आरोप लगाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। अपीलांट का परिवार का पालन पोषण इसी दुकान से चलता है। परिवार को भूखा मरने की नोबत आ रही है। न्यायहित में श्रीमान झूठे आरोपों को खारिज फरमाते हुए अपीलांट की दुकान का लाईसेंस पुनः बहाल करने की कृपा करें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद हेतु प्रकरण नियत किया गया।

3– दौराने बहस वकील अपिलाण्ट उपस्थित नहीं होने के कारण हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

को निरस्त कियागया है व अपीलाण्ट की दुकान एफ.पी.एस. कोड संख्या 7052 को

बहस के दौरान पेरोकार रसद ने निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलांट ने जवाब भी पेश किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम नोटिस दिनांक 31.12.2024 को जारी किया गया। अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होकर स्वंय लिखित में अधीनस्थ न्यायालय में शपथपत्र पेश कर अवगत करवाया कि अवशेष स्टॉक 20275.50 किग्रा. है तथा प्राधिकार पत्र बहाल करने का निवेदन किया। स्वंय लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी अपीलांट ने अटैच डीलर को गेंहू NFSA 20275.50 किग्रा. उपलब्ध नहीं करवाया इससे अपीलांट द्वारा उक्त गेंहू का गबन किया जाना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:31 IST
Reason: SelfAttested